Form No.III

फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री लादु कुमावत

बनाम

हडमल गुर्जर वगैराह

मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट........................ ....न. 185 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
[illegible].12.2019	प्रार्थी जरिये अधिवक्ता द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर एकपक्षीय बहस के तौर पर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम मूशी पटवार हल्का मूशी भू0अ0निरीक्षक उपरेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 519 के **आराजी सख्यां 1351/1, 3060/822 कुल किता 02 कुल रकबा 05–08 बीघा** आराजीयात जो कि वर्तमान में प्रार्थी के पक्ष में एकल खातेदारी हक से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। एकपक्षीय बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा कथन कर निवेदन किया कि प्रार्थी विवादग्रस्त आराजीयात पर पूर्ण रूप से काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 01, 02 बिना कोई विधिक अधिकार के प्रार्थी के हक आधिपत्य व कब्जेशुदा आराजीयात पर से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है, व आये दिन प्रार्थी से इस विषय को लेकर विवाद उत्पन्न करते है। विपक्षीगण धन व बल के दम पर आराजीयात पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। यदि भविष्य में विपक्षी संख्या 01, 02 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल कर दिया जाता है। तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी, वादपत्र व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 01, 02 को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी संख्या 01, 02 द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात पर बिना कोई हक अधिकार के प्रार्थी की हक अधिपत्य व कब्जेशुदा आराजीयात पर से बेदखल कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हक प्रभावित होगें, एंव इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते, हुए भी प्रकरण प्रार्थी के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र इस प्रकार आंशिक स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात ग्राम मूशी पटवार हल्का मूशी भू0अ0निरीक्षक उपरेडा तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 519 के **आराजी सख्यां 1351/1, 3060/822 कुल किता 02 कुल रकबा 05–08** बीघा आराजीयात पर मौके की [illegible] यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01, 02 को अस[illegible]ज्ञा से आगामी पैशी दिनांक तक पाबंद किये जाने की आज्ञा प्रसारित [illegible] प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण [illegible] नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु [illegible] 16.12.2019 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Anshul Singh Date: 2022.08.03 17:01:47 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
21/07/22	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारे हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त हैं / अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 30/06/22 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
30/6/22	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारे हैं / अन्य राजकार्य में ... हैं / अत. अवकाश पत्रावली साबिक .... 20/7/22 को पेश हो। आज्ञा से	
लादू Identify		
2/8/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। वादी/प्रार्थी श्री लादू पिता नन्दा कुमावत ने पूर्व में ता. पत्र वास्ते पत्रावली विड्राल पेश किया जिसे आज दिनांक ... मसल किया गया। ... आज न्यायालय में उपस्थित हो निवेदन किया कि आज दिनांक को पत्रावली विड्रा कर Note press की जावे। अतः पत्रावली Note press की ...	
नि. लादू		
इ.मल		

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.08.03 17:01:47 IST
Reason: SelfAttested